रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-03112026-277595
CG-UP-E-03112026-277595

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5590] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5590] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

प्रयागराज , 15 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5815(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संसोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप) खण्ड-ii), दिनांक 24 मार्च 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1539 **(अ) दिनांक 19 मार्च, 2026** (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के **सोनभद्र जिले** में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् चुनार- चोपन दोहरीकरण परियोजना (101 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों, अर्थात्: **'अमर उजाला" और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" में तारीख 08.04.2026** को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को इस परियोजना में कुछ अक्षेप प्राप्त हुए; जिसका निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

और, यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 (च) की उपधारा (04) के अनुसरण में उर्पयुक्त वर्णित भूमि में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अध्यिप्ति अधिकारी (सिचाई) मिर्ज़ापुर के समक्ष अपना दावा इस अधिसूचना के प्रकाशन के आगामी 20 दिवस में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना चुनार – चोपन के मध्य दोहरीकरण रेल परियोजना के लिए सोनभद्र जिले में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र0 सं0	गॉव का नाम	गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षे0 (हेक्टेयर मे)	भू – स्वामी / हितबद्व व्यक्तियों का नाम
1	डिलाही	42मि	निजी	कृषि	0.4035	मोहम्मद इम्तियाज अहमद पुत्र मोहम्मद सफी
						अनवर अली पुत्र सना उल्ला
						वरासत अली पुत्र अमीर अली
						हाफीजूल पत्नी वरासत अली
						मुर्तजा अली, रियाज अहमद पुत्रगण हामिद अली
						कौशरी बेगम पत्नी मुस्ताक अहमद
						शाहिल रजा ना0बा0 उम्र 16 वर्ष, सिवली रजा ना0बा0 उम्र 15 वर्ष, सिब्तैन रजा ना0बा0 उम्र 12 वर्ष पुत्रगण मुस्ताक अली सं0 माता कौशरी बेगम
						यासमीन बानो पत्नी हसनैन रजा तथा हासरा खानम उम्र 4 वर्ष पुत्री हसनैन रजा
						उमर, नुर मुहम्मद पुत्रगण मुतुजा
						नूरजहाँ बेगम पत्नी समीर अहमद
						फातिमा पत्नी मुहम्मद आरिफ
						सलीम पुत्र अजीज
						हम्द रजा ना0बा0 उम्र 2 वर्ष, हमद रजा ना0बा0 ना0बा0 उम्र 1 वर्ष पुत्रगण हसनैन रजा सं0 माता यासमीन बानो
						मुन्नी बेगम पत्नी रियासत अली
						अख्तर अली, अनवर अली, अफसर अली, मो. अहमद, मो. अबरार पुत्रगण सना उल्ला
						अब्दुल हलीम पुत्र अमीर अली
						जोहरा बेगम पत्नी अब्दुल सलीम
						मुनौवर अली पुत्र अमीर अली
						मोहसीना बेगम पत्नी मो. लतीफ
						सफी उल्ला पुत्रगण वजीर अली
						सूल्तान अली, इलियास अली पुत्रगण रमजान अली
						अब्दुल सत्तार पुत्र हबीबुल्ला
						मुनउर अली, अब्दुल हलीम पुत्रगण अमीर अली

						जोहरा बेगम पत्नी स्व0 मोहम्मद सलीम
						लियाकत अली पुत्र हामिद अली
						सहवान अली, तवारक अली पुत्रगण रमजान अली
						वरासत अली पुत्र अमीर अली
		114	निजी	कृषि	0.0832	आविदा पत्नी बरकत अली,
						सकील अहमद पुत्र बरकत अली
		115	निजी	कृषि	0.0655	गफ्फार पुत्र गुलाम कादिर
		117	निजी	कृषि	0.2472	करामत, निसार, रियाज, सहामत पुत्रगण निहालुद्दीन,
						जमीरूनिशा पत्नी मुहम्मद अस्फाक
		146	निजी	कृषि	0.1330	जवाहिर पुत्र रघुराई
		147	निजी	कृषि	0.0254	मुनौवर अली, अजमत अली पुत्रगण कालू,
						अबरार, किबून, इजहार, लालमुहम्मद पुत्रगण गफ्फार
				योग	**0.9578**	
2	**मारकुंण्डी**	637	निजी	कृषि	0.6801	कृष्ण कुमार, राजमनी, बृजेश, रविन्द्र, छविन्द्र, पुत्रगण श्रीराम
						सुखन्ती पत्नी श्रीराम,
						मंगल, विजय कुमार, रमेश कुमार, संजय पुत्रगण हरिराम
						लीलावती पत्नी गोवर्धन
						दुलारी देवी पत्नी हरिराम
				योग	**0.6801**	
				महायोग	**1.6379**	

[फा. सं. 1-G/CAR-CPU/Land Acquisition/01]

अजीत सिंह यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 15th October, 2026

S.O. 5815(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Central Railway, Construction department), Notification number, S.O. 1539 (E) dated the 19.03.2026 published in Gazette of India on 24.03.2026, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely special railway project of Chunar-Chopan Doubling project (101 km) in District Sonbhadra in the state of Uttar Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "Amar Ujala" and "The Times of India" Dated 08 april, 2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

And, that all persons interested in the above mentioned land in pursuance of sub-section (04) of section 20 (F) of the said Act by the Central Government are hereby informed that they may, personally or through an agent or legal practitioner, be notified by the competent authority Land Acquisition Officer (Joint Organisation) Prayagraj, can submit his claim in the next 20 days from the date of publication of this notification in the office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquire, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Chunar To Chopan Doubling Railway Project in Sonbhadra District in The State of Utter Pradesh.

Sr. no.	Name of Village	Plot number	Type of land	Nature of land	Area of aquire land(in hact.)	Name of Land owner/interested person
1	**Dilahi**	42fe	Pvt.	Agriculture	0.4035	Mohammad Imtiyaj Ahamad S/O Mohammad Safi
						Anawar Ali S/O Sanaulla
						Varasat Ali S/O Amir Ali
						Hafijul W/O Varasat Ali
						Murtaja Ali, Riyaj Ahamad S/O Hamid Ali
						Kaoshari Begum W/O Mustak Ahamad
						Shahil Raza Minor 16 Yrs Old, Sivali Raza Minor 4 Yrs Old S/O Mustak Ali Guardian Mother Kaushari Begum
						Yasmin Bano W/O Hasnain Raza And Hasra Khanam 4 Yrs Old D/O Hasnain Raza
						Umar, Nur Mohammad S/O Mutuza
						Nurzahaa Begum W/O Samir Ahamad
						Fatima W/O Mohammad Arif
						Salim W/O Ajij
						Gamd Raza Minor 2 Yrs Old, Hamad Raza Minor 1 Yrs Old S/O Hasnain Raza Guardian Mother Yasmin Bano
						Munni Begum W/O Riyasat Ali
						Akhtar Ali, Anawar Ali, Afsar Ali, Mo. Ahamad, Mo. Abarar S/O Sanaulla
						Abdul Halim S/O Amir Ali
						Johra Begum W/O Abdul Salim

						Munaovar Ali S/O Amir Ali
						Mohsina Begum W/O Mo. Latif
						Safi Ulla S/O Vajir Ali
						Sultan Ali, Iliyas Ali S/O Ramazan Ali
						Abdul Sattar S/O Habibulla
						Munaur Ali, Abdul Halim S/O Amir Ali
						Johra Begum W/O Late. Mohammad Salim
						Liyakat Ali S/O Hamid Ali
						Sahwan Ali, Tawarak Ali S/O Ramazan Ali
						Varasat Ali S/O Amir Ali
		114	Pvt.	Agriculture	0.0832	Aavida W/O Barakat Ali
						Sakil Ahamad S/O Barakat Ali
		115	Pvt.	Agriculture	0.0655	Gaffar S/O Gulam Kadir
		117	Pvt.	Agriculture	0.2472	Karamat, Nisar, Riyaz, Sahaamat S/O Nihaluddin
						Jamirunisha W/O Mohammad Asfak
		146	Pvt.	Agriculture	0.1330	Javahir S/O Raghurai
		147	Pvt.	Agriculture	0.0254	Munaovar Ali, Ajamat Ali S/O Kalu
						Abarar, Kibun, Ijahar, Laalmohammad S/O Gaffar
				Total-	**0.9578**	
2	**Markundi**	637	Pvt.	Agriculture	0.6801	Krishna Kumar, Rajmani Brijesh, Ravindra, Chhavindra S/O Shriram
						Sukhanti W/O Shriram
						Mangal, Vijay Kumar, Ramesh Kumar, Sanjay S/O Hariram
						Lilavati W/O Govardhan
						Dulari Devi W/O Hariram
				Total-	**0.6801**	
				Grand Total-	**1.6379**	

[F. No. 1-G/CAR-CPU/Land Acquisition/01]

AJIT SINGH YADAV, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.03 17:20:15 +05'30'